भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1998
दिनांक 05 अगस्त, 2026 / 14 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

जिला स्तरीय फोरेंसिक मोबाइल वैन नेटवर्क

1998# श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए कानूनों के तहत 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में साक्ष्यों के संकलन के लिए देश के सभी जिलों में फोरेंसिक मोबाइल वैन तैनात करने की वर्तमान योजना क्या है;
(ख) अब तक देशभर के विभिन्न राज्यों में कुल कितनी मोबाइल फोरेंसिक वैन आवंटित की जा चुकी हैं और इन वैनों में किस प्रकार के अत्याधुनिक डिजिटल और वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार इन वैनों के संचालन के लिए पुलिस विभागों के अलावा स्वतंत्र फोरेंसिक विशेषज्ञों और तकनीकी जनशक्ति की भर्ती के लिए कोई विशेष राष्ट्रीय वित्तीय सहायता दे रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): सरकार ने फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण योजना को अनुमोदित किया है, जिसके अंतर्गत देश के सभी जिलों तथा राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) को आधुनिक फॉरेंसिक उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल फॉरेंसिक वैन (एमएफवी) उपलब्ध कराने हेतु ₹496.66 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

ये वैन अपराध स्थल पर वैज्ञानिक परीक्षण एवं साक्ष्यों के संकलन को सुगम बनाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। इनमें अपराध स्थल का प्रलेखन, फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी, जैविक एवं सूक्ष्म (ट्रेस) साक्ष्यों का संकलन, फिंगरप्रिंट का विकास एवं संग्रहण, भौतिक साक्ष्यों का प्रारंभिक परीक्षण, प्रदर्शों का सुरक्षित संरक्षण तथा डिजिटल प्रलेखन सहित अन्य आवश्यक फॉरेंसिक उपकरणों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

<u>राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1998, दिनांक 05.08.2026</u>

अब तक देश के विभिन्न राज्यों को कुल 619 मोबाइल फॉरेंसिक वैन आवंटित की जा चुकी हैं। इनके संचालन संबंधी व्यय, जिसमें आवश्यक मानव संसाधन की भर्ती का व्यय भी शामिल है, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाएगा।

****